



UPSI120005422024

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिसवाँ, सीतापुर।

पीठासीन अधिकारी(सुभाष)(उ०प्र०न्यायिक सेवा)UP3785

दीवानी वाद संख्या-143/ 2024

रामरती बनाम लज्जावती आदि।

दिनांक 29.04.2024

वादिनी द्वारा वाद पत्र बाबत स्थाई प्रतिबन्ध जरिए अधिवक्ता श्री विनय कुमार सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया।

समस्त प्रपत्रों एवं मुंसरिम आख्या का अवलोकन किया गया।

आदेश

वाद दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी हो। वादिनी पैरवी करे। पत्रावली वास्ते दाखिल जवाबदावा दिनांक 24.05.2024 एवं वास्ते विरचन वाद बिन्दु दिनांक 31.05.2024 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०)

बिसवाँ, सीतापुर।

प्रार्थना पत्र 6ग²

वादिनी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 6ग² अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता पर एक पक्षीय रूप से सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

पत्रावली के सम्यक परिशीलन के आधार पर यह विदित होता है कि वादिनी द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से वादीय भूमि गाटा संख्या 1221, रकबा 0.5180 हे० स्थित ग्राम खानपुर, परगना कोण्डरी उत्तरी, तहसील बिसवाँ, जिला सीतापुर में प्रतिवादीगण को किसी प्रकार से हस्तक्षेप करने, विक्रय करने व वादीय भूमि का क्रियान्वयन करने से निषेधित किये जाने की याचना की गयी है।

वादिनी की ओर से अपने उपरोक्त कथनों के समर्थन में सूची 10 ग से एक किता इन्तखाव खतौनी गाटा संख्या 1221, ग्राम खानपुर, परगना कोण्डरी उत्तरी, तहसील बिसवाँ, जिला सीतापुर, फ० 1425-1430 तक प्रस्तुत किया गया है।

सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर दिये प्रार्थना पत्र 6ग² पर एकपक्षीय रूप से कोई अन्तरिम आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा।

आदेश

प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। वादिनी पैरवी करे। प्रतिवादीगण से आपत्ति आमन्त्रित की जाये। पत्रावली वास्ते आपत्ति निस्तारण प्रार्थना पत्र 6ग² दिनांक 18.05.2024 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०)

बिसवाँ, सीतापुर।

दुर्गा शंकर (स्टेनो)/ -